112

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल साईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांक–3:12:231:01:15– 13353 दिनांक– 27.10.15

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः– संविदा पर कार्यरत सहायक प्रबंधकों की संविदा अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव भेजने के पूर्व अन्तर गोदाम स्थानान्तरण एवं गोदाम जाँच करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि संविदा पर कार्यरत सहायक प्रबंधकों के विरूद्ध क्षति/गबन, अपराधिक मामला, गम्भीर आरोप का नहीं होने संबंधी आपसे प्राप्त सूचना एवं प्रस्ताव पर मुख्यालय द्वारा संविदा अवधि के विस्तार हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऐसे दृष्टान्त हैं, कि आपसे प्राप्त उक्त सूचना एवं प्रस्ताव पर निगम मुख्यालय से स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् संबंधित कर्मी के विरूद्ध क्षति/गबन एवं अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है।

समीक्षा में यह भी स्पष्ट हुआ है, कि संविदा पर कार्यरत कई सहायक प्रबंधकों से वगैर संविदा विस्तार का कार्य लिया जा रहा है। ऐसे में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है।

जो सहायक प्रबंधक एक गोदाम में एक वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित है उनका अन्तर गोदाम स्थानान्तरण करने संबंधी निदेश मुख्यालय पत्रांक 2395 दिनांक 14.3.08 द्वारा निर्गत है। उक्त निदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सहायक प्रबंधकों का अन्तर गोदाम स्थानान्तरण पारस्परिक (Vice-versa) नहीं होना चाहिये।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैः–

(i) संविदा पर कार्यरत सहायक प्रबंधकों की संविदा अवधि विस्तार हेतु मुख्यालय प्रस्ताव भेजने के पूर्व उनका अन्तर गोदाम स्थानान्तरण, जो पारस्परिक (Vice-versa) नहीं हो, करते हुए उनके प्रभार वाले गोदाम अभिलेखों की जाँच करना सुनिश्चित करें, तथा संविदा अवधि विस्तार हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव में उसके फला–फल अर्थात् क्षति/गबन, अनियमितता आदि का स्पष्ट उल्लेख करें।

(ii) संविदा अवधि विस्तार हेतु मुख्यालय प्रस्ताव भेजने के पूर्व संबंधित कर्मी के प्रभारवाले गोदामों का निरीक्षण कर भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन निश्चित रूप से संलग्न करें।

(iii) वैसे कर्मी जिनकी संविदा अवधि समाप्त हो गई है तथा आगे के लिए संविदा अवधि का विस्तार नहीं हुआ हो, उन्हें तत्काल गोदाम के प्रभार से मुक्त करना सुनिश्चित करें। यदि वगैर संविदा अवधि विस्तार के किसी कर्मी को गोदाम के प्रभार में रखा गया हो, और उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी करने का मामला प्रकाश में आता हो, तो इसके लिए संबंधित जिला प्रबंधक जिम्मेवार होंगे।

(iv) संविदा पर नियोजित सहायक प्रबंधकों द्वारा विहित प्रपत्र में "बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम" के अन्तर्गत एकरारनामा कराना सुनिश्चित करें।

(v) वैसे कर्मी जिनकी संविदा अवधि विस्तार का प्रस्ताव पूर्व में आपके द्वारा मुख्यालय भेजा गया है, उनके सन्दर्भ में भी उपर वर्णित निदेशों का पालन करते हुए पुनः प्रस्ताव मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें, ताकि उनकी संविदा अवधि के विस्तार पर विचार किया जा सके।

विश्वासभाजन,
27/10/15
प्रबंध निदेशक।

AR/* Admn. g.babu